



# यूजेवीएन लिमिटेड

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

## U J V N Limited

(A Govt. of Uttarakhand Enterprise)

मानव संसाधन विभाग, "यमुना भवन", यमुना कालोनी, देहरादून - 248001 (उत्तराखण्ड)

Human Resources Department, "Yamuna Bhawan", Yamuna Colony, Dehradun - 248 001 (Uttarakhand)

दूरभाष / Phone-0135-2530030/2530061/2530584/2530909/2531975 फैक्स / Fax-0135-2531343/2531646 Website: www.ujvnl.com CIN No. U40101UR2001SGC025866

ISO 9001 : 2008 Certified

पत्रांक C-65 / यूजेवीएनलि / 05 / मा०सं० / उपनल

दिनांक 05 अक्टूबर, 2021

### कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निगम के आदेश संख्या C-55/यूजेवीएनलि/01/प्र0नि0 दिनांक 04 अक्टूबर 2021 को संशोधित करते हुये निम्नवत जारी किया जा रहा है।

निगम में उपनल के माध्यम से कार्योजित संविदा कार्मिकों को यूजेवीएन लिमिटेड की बोर्ड की 103वीं बैठक में लिए गये निर्णय के क्रम में कार्मिकों को नियमानुसार "विशेष ऊर्जा भत्ता" एवं "पाली भत्ता" निम्नवत तथा प्रोत्साहन भत्ता (Incentive) वर्ष 2019-20 के लिए रु० 7,500.00 स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

#### "विशेष ऊर्जा भत्ता",

क्र०सं०	कार्मिकों की श्रेणी	विशेष ऊर्जा भत्ता (रु० प्रतिमाह)
01	अकुशल	रु० 600.00
02	अर्द्धकुशल	रु० 700.00
03	कुशल / उच्चकुशल	रु० 800.00

#### "पाली भत्ता"

क्र.सं	उपनल के परिचालकीय कर्मचारियों की श्रेणी	पाली भत्तों की दरें (रु० प्रतिमाह)	अनुपस्थिति की स्थिति में कटौती (रु० प्रतिपाली)
1.	तकनीशियन/यांत्रिक कर्मचारी वर्ग (तृतीय श्रेणी के परिचालकीय कर्मचारी)	585/-	75/-
2.	हैल्पर, मेट तथा समकक्ष कर्मचारी वर्ग (चतुर्थ श्रेणी के परिचालकीय कर्मचारी)	360/-	45/-

विशेष ऊर्जा भत्ता तथा पाली भत्ता पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम का अंशदान, सर्विस चार्ज एवं जी०एस०टी० का भुगतान नियमानुसार अतिरिक्त देय होगा।

उक्त आदेश निर्गमन की तिथि से लागू होंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (उपनल) देहरादून।
2. प्रबन्ध निदेशक, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून के निजी सचिव।
3. समस्त निदेशक, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून के निजी सचिव/वैयक्तिक सहायक।
4. समस्त अधिशासी निदेशक, यूजेवीएन लिमिटेड।
5. समस्त महाप्रबन्धक, यूजेवीएन लिमिटेड।
6. समस्त उपमहाप्रबन्धक/कम्पनी सचिव/वरिष्ठ विधि अधिकारी (उपमहाप्रबन्धक स्तर), यूजेवीएन लिमिटेड।
7. उपमहाप्रबन्धक (आई०टी०), यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून को कृपया उक्त आदेश को निगम की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. समस्त अधिशासी अभियंता, यूजेवीएन लिमिटेड।
9. मानव संसाधन विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।

(राजेन्द्र सिंह)

अधिशासी निदेशक (मा०सं०)